न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—44 / 20 (2020 / 00121) वाद पत्र

अनवान

1. उदयराम आत्मज हीरा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोविन्द आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मुरली आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रकाश आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरू आत्मज बरदा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 364 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 365 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 360 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 372 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 373 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता सख्या 56 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तक साथ प्रस्तुत की है। उक्त आराजियात के पड़ौसी प्रतिवादीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद करने लग गये व दिनांक 01.05.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने वादी व उसके परिवारजन की अनुपस्थिति का नाजायज लाभ उठाकर वादी की उठा कर वादी की उक्त आराजियात मे से आराजी संख्या 372 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 373 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि पर बलात आधिपत्य कर अतिक्रमण करते हुए वादी की इन आराजियात को प्रतिवादीगगण की आराजी संख्या 376 व 375 में मिलाकर एक ही चक करके दिवार बना दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की आराजी संख्या 364 में कुछ भूमि पर व आराजी संख्या 368 की कुछ भूमि पर भी कब्जा कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 भैरूलाल ने वादी की आराजी संख्या 364 की उत्तरी मेड़ पर बलात आधिपत्य कर अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया तथा उनकी आरायिजात में मिला दिया बलात् रूप से काबिज हो गये और कहा कि यह भूमियां हमारी है। वादी ने श्रीमान न्यायालय सहायक लोड रेकार्ड अधिकारी रायपुर के न्यायालय मे प्रतिवादीगण को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए पैश किया, जिके प्रकरण संख्या 85 / 2017 उदयराम माली बनाम प्रहलाद सुथार वगैरा है तथा उसमे दिनाक 26—10—2017 को पत्थरगढ़ी करने का आदेश प्रदान किया गया। प्रमाण में आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ प्रस्तुत है। उक्त आदेश की पालना में गिरदावर व पटवारी हल्का रायपुर द्वारा दिनांक 15.06.2019 को वादी की उक्त आरा[illegible] पत्थरगढ़ी की तो उसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का वादी की आराजी [illegible] है0, आराजी संख्या 373 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कु[illegible]बा 0.31 है0 पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वादी की आराजी संख्या 364 की उत्तरी मेड़ 6 मीटर की चौड़ाई में व आ[illegible] संख्या 368 तक बलात् कब्जा पाया गया इसी प्रकार वादी की आराजी [illegible]ख्या 365 रकबा 0.01 [illegible]पूर्ण पर 364 की उत्तरी मेड़ पर आराजी संख्या 359 की सीमा तक 6 मीटर चौड़ाई में प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:08 IST
Reason: SelfAttested

पाया गया व प्रतिवादीगण उस समय सहमति दी किन्तु कब्जा नही छोड़ा गया। वादी द्वारा कई बार कहने पर टालमबाजी का जवाब देते रहे है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जेयापी की डिकी जारी करवा पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि कब्जेयाबी की डिग्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 364, 365, 368, 372, 373, 374 कुल किता 6 कुल रकबा 0.90 हेक्टेयर भूमि पर सम्पूर्ण व भू भाग पर प्रतिवादीगण के बलात आधिपत्य को प्रतिवादी स्वयं उनके खर्चे पर हटा कर कब्जा वादी को सिपुर्द करे व डिकी के बावजूद नहीं हटाने की दशा मे तहसीलदार साहब रायपुर व पुलिस जाब्ते से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सिपुर्द कराया जावे साथ ही कब्जे सिर्पद की तारीख तक वार्षिक लगान का 15 गुणा शास्ति प्रतिवादीगण पर अधिरोपित कर वादी को दिलाई जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहे वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निमार्ण आदि नही करावे व भूमि को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नही करे व भारग्रस्त नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी के बयान कराये गये और अन्त में दोराने बहस वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद में डिकी जारी करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादी वादवर्णित आराजियात का खातेदार कृषक है जिसमें विपक्षीगणो का राजस्व रेकार्ड में कोई नाम नही है वादीगण द्वारा पत्रावली में दिनांक 15.06.2019 को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करायी गई जिसके पर्चे मौके में अंकित किया कि इस आराजी में अन्य व्यक्तियो का कब्जा है और उसी आधार पर वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है प्रतिवादी को समन भेजने के बाद भी उपस्थित नही होने से यह माना जा सकता है कि इस प्रकरण में विपक्षी को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का वादी की आराजी सख्या 372 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 373 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वादी की आराजी संख्या 364 की उत्तरी मेड़ 6 मीटर की चौड़ाई में व आराजी संख्या 368 तक बलात् कब्जा पाया गया इसी प्रकार वादी की आराजी संख्या 365 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण पर 364 की उत्तरी मेड़ पर आराजी संख्या 359 की सीमा तक 6 मीटर चौड़ाई में प्रतिवादी संख्या 5 का अवैध कब्जा पाया जाने से उक्त भूमि से विपक्षीगणो को बेदखल कर वादी खातेदार को कब्जा सिपूर्द किया जावे। वादी की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे इसी आशय की डिकी जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:08 IST
Reason: SelfAttested

21-01-2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–44/20 (2020/00121) वाद पत्र

अनवान

1. उदयराम आत्मज हीरा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोविन्द आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मुरली आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रकाश आत्मज रामचन्द्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरू आत्मज बरदा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का वादी की आराजी सख्या 372 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 373 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वादी की आराजी संख्या 364 की उत्तरी मेड़ 6 मीटर की चौड़ाई में व आराजी संख्या 368 तक बलात् कब्जा पाया गया इसी प्रकार वादी की आराजी संख्या 365 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण पर 364 की उत्तरी मेड़ पर आराजी संख्या 359 की सीमा तक 6 मीटर चौड़ाई में प्रतिवादी संख्या 5 का अवैध कब्जा पाया जाने से उक्त भूमि से विपक्षीगणो को बेदखल कर वादी खातेदार को कब्जा सिपूर्द किया जावे। वादी की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे इसी आशय की डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.01.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:08 IST
Reason: SelfAttested